छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 8–33/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 03/12/2016

प्रति,

1. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम, छ.ग.।
2. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका/नगर पंचायत, छ.ग.।

विषय :– **निकाय मे स्थित भुगतान काउन्टर में कैशलेस पेमेंट हेतु UPI आधारित भुगतान सेवा प्रारंभ करने के संबंध मे।**

संदर्भ :– विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.11.2016

—00—

समस्त नगरीय निकायों मे कैशलेस भुगतान की सेवा विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध करायी जानी है। इस तारतम्य मे संदर्भित आदेश द्वारा आपके निकाय स्थित काउन्टर एवं फील्ड स्टाफ हेतु सुसंगत मात्रा मे POS मशीन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य मे निकायो मे स्थित काउंटर में नागरिकों को UPI (Unified Payment interface) की सुविधा प्रदान की जानी है।

आपके निकाय मे स्थित भुगतान काउंटर मे UPI आधारित भुगतान की सुविधा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. UPI मोबाईल एप की सुविधायुक्त बैंक मे निकाय के भुगतान काउंटर हेतु पृथक नवीन खाता खोला जाए।
2. उपरोक्तानुसार भुगतान काउंटर हेतु पृथक Dedicated मोबाईल फोन एवं Sim Card की व्यवस्था की जाये। यह मोबाईल नंबर काउंटर हेतु खोले गये UPI आधारित खाते मे बैंक के माध्यम से पंजीकृत (Registered) किया जाये।
3. बैंक द्वारा निर्धारित UPI को रजिस्टर्ड सिम कार्ड युक्त मोबाईल में डाउनलोड करे। UPI Application को मोबाईल मे रजिस्टर करे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बैंक का नाम, एकाउंट नंबर एवं पंजीकृत मोबाईल नंबर की जानकारी सही–सही भरी जावे।
4. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मे आपको VPA एवं MPIN तैयार करने हेतु निर्देश प्राप्त होंगे। VPA ई–मेल एड्रेस की भांति एक एड्रेस होगा जैसे उदा. 123456789@rpr । निकाय के काउंटर में साफ एवं सुस्पष्ट भाषा में VPA लिखा जाना है। इस VPA के माध्यम से नागरिक निकाय के खाते में राशि भेजेंगे।

इसी प्रकार MPIN एप तैयार किए गये मोबाइल एवं VPA का पासवर्ड होगा। कृपया किसी भी परिस्थिति में MPIN, किसी भी व्यक्ति संस्थान आदि से साझा न करे।

5. भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

5.1 संलग्न प्रारूप (क) में VPA से संबंधित जानकारी निकाय के भुगतान काउंटर पर प्रदर्शित किया जावे। साथ ही आप मोबाईल एप द्वारा जनित अपने निकाय के खाते का QR Code भी प्रारूप (क) प्रदर्शित करे। QR Code से नागरिक को अपने मोबाईल एप में VPA एड्रेस टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2 नागरिक को सर्वप्रथम विहित प्रकियानुरूप भुगतान की राशि बतायी जावे तथा VPA भुगतान/POS भुगतान का विकल्प नागरिक से पूछा जाये।

5.3 UPI भुगतान की स्थिति में VPA नागरिक के मोबाइल मे Entry उपरांत नागरिक द्वारा भुगतान की प्रकिया की जावेगी तथा नागरिक द्वारा अपने मोबाइल फोन के माध्यम से निकाय के पंजीकृत खाते मे राशि स्थानांतरित होगी।

5.4 निकाय के पंजीकृत नंबर मे एक मिनट की समय-सीमा में SMS के माध्यम से स्थानांतरित राशि एवं खाताधारक के नाम की सूचना प्राप्त होगी।

5.5 सूचना प्राप्त होने के उपरांत नागरिक को निहित प्रकिया अनुरूप विधिवत रसीद प्रदान करे एवं रसीद तथा UPI पंजी संधारित कर पंजी में जानकारी इंद्राज़ की जावे।

5.6 पूरी प्रकिया में यह अति आवश्यक है कि पंजीकृत मोबाईल फोन काउंटर मे ही संबंधित भुगतान लिपिक के पास ही रखा जावे एवं इसकी बैटरी हमेशा चार्ज रखी जावे। पंजीकृत मोबाईल फोन मे इंटरनेट डाटा एवं वाई-फाई बंद रखा जावे तथा यह फोन नंबर सिर्फ बैंक भुगतान की जानकारी हेतु उपयोग किया जावे। संबंधित भुगतान लिपिक को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जावे।

6. पंजीकृत खाते का संचालन :-

6.1 UPI प्रकिया हेतु खोला गया बैंक खाता सिर्फ UPI भुगतान हेतु उपयोग किया जावे।

6.2 इस बैंक खाते में विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही समय मे कुल राशि रू. 50,000.00 (पचास हजार रू.) से ज्यादा न हो।

6.3 इस खाते में बैंक के माध्यम से Standing Instruction की शर्त डाली जावे कि प्रतिदिन सायं 04:00 बजे तक की एकत्रित राशि संबंधित मद के खाते यथा संपत्ति कर, जल कर, विविध आदि मे स्थानांतरित हो जावे।

7. मोबाईल फोन कय :-

7.1 Cashless भुगतान के कार्यहेतु प्रत्येक काउंटर हेतु एक मोबाइल कय किया जावे।

7.2 शासन द्वारा प्रति मोबाईल कय हेतु राशि रू. 5,000.00(पांच हजार रू.) की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

7.3 भंडार कय नियम का पालन करने हुए, मोबाईल फोन कय की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करें।

7.4 अच्छे एवं सुसंगत ब्रांड के मोबाईल ही कय किये जावे जिससे बैंक खातो से संबंधित जानकारी सुरक्षित रह सके।

8. प्रशिक्षण एवं नागरिकों को मोबाईल भुगतान से संबंधित सहायता :–

8.1 निकायो में स्थित काउंटर मे सुसंगत संख्या मे वालेंटीयर नियुक्त किये जावे जो नागरिको को मोबाईल एप्लीकेशन के उपयोग तथा भुगतान प्रकिया के संबंध मे तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगे।

8.2 वालेंटियर एवं भुगतान लिपिक का प्रशिक्षण बैंक के माध्यम से पूर्ण किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार निकाय के प्रत्येक काउंटर में UPI आधारित भुगतान की व्यवस्थ दिनांक 05 दिसंबर तक पूर्ण कर, संबंधित संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अवगत करावे।

(जितेन्द्र शुक्ला)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 8–33/2016/18 नया रायपुर, दिनांक 03/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग., नया रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर।
6. समस्त संभागायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़।
7. समस्त कलेक्टर, छ.ग.।
8. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर एवं जगदलपुर।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. आर्डर बुक।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

UPA मोबाईल एप्लीकेशन

नगर पालिक निगम/पालिका परिषद/नगर पंचायत

➢ इस भुगतान काउंटर मे एप्लीकेशन के माध्यम से पालिक सेवा के कर/उपभोक्ता शुल्क के भुगतान स्वीकार किये जाते है।

इस काउंटर का UPA ID :-

123456789@RRR

QR CODE :-

प्रक्रिया :–

1. भुगतान की राशि की जानकारी प्राप्त करें।
2. अपने मोबाईल एप मे VPA ID डाले अथवा QR Code Scan करें।
3. VPA ID की पुनः जांच करे। संतुष्ट होने पर मांग की गई राशि मोबाईल मे प्रविष्ठ करें।
4. सेंड/ट्रांसफर/सबमिट करें।
5. राशि स्थानांतरण की जानकारी भुगतान लिपिक को देवें।
6. भुगतान लिपिक के मोबाईल में स्थानांतरण की सूचना उपरांत रशीद प्राप्त करें।

विशेष नोट :–

➢ अपना किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से साझा न करे।

➢ लिपिक के फोन मे के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर ही भुगतान मान्य होगा एवं रशीद प्रदान की जाएगी।